

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार सरकार



**श्रम को मिलता सम्मान,
खुशहाल हुआ श्रमिक परिवार**

निबंधित निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता राशि :



नकद पुरस्कार : राशि ₹10,000/-, 15,000/- और ₹25,000/-
प्रत्येक वर्ष अधिकतम दो बच्चों के लिए मैट्रिक एवं इंटर में 60% या
अधिक अंक लाने पर

किसी तरह के शिकायत अथवा जानकारी के लिए संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन
पदाधिकारी अथवा जिला के श्रम अधीक्षक कार्यालय अथवा बोर्ड के ई मेल आईडी:
bocw.bihar@gov.in पर संपर्क करें।